बिहार सरकार
परिवहन विभाग

संचिका सं0–06/मुकदमा–12/2018 7915 **पटना, दिनांक–** 13/12/18

आदेश

10.12.2018 याचिकाकर्ता श्री प्रवीण कुमार सिंह उपस्थित।

C. W. J. C. सं0–469/2018 प्रवीण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक–06.09.2018 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश (Operative Part) निम्नवत् है–

"In view of the aforesaid prayer made by the petitioner in the present writ petition, it would be appropriate to dispose of the present writ petition with a direction to the Respondent No. 1 to consider the case of the petitioner on merits and dispose of the same by a reasoned and speaking order within a period of eight weeks from today.

In order to facilitate quick disposal of the case of the petitioner, the petitioner is directed to file a representation within a period of two weeks from today."

उक्त न्यायादेश में माननीय न्यायालय द्वारा अधोहस्ताक्षरी को यह आदेश देने की कृपा की गई है कि न्यायादेश पारित होने की तिथि से 2 सप्ताह के अन्दर याचिकाकर्ता से आवेदन प्राप्त होने पर 8 सप्ताह के अन्दर उक्त आवेदन के मैरिट पर विचार करे एवं मुखर आदेश पारित कर निष्पादित करें।

याचिकाकर्ता द्वारा मूलतः वर्ष 2014 में निर्धारित भाड़े के अनुरूप Point to Point भाड़े का निर्धारण हेतु याचिका दाखिल की गई है।

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा बताया गया कि विभागीय अधिसूचना सं0–1791, दिनांक–13.03.2018 द्वारा वर्ष 2014 के निर्धारित भाड़े में वृद्धि हेतु राज्य परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में, ईंधन के मूल्यों में वृद्धि, वाहन के रख–रखाव एवं संचालन व्यय में वृद्धि आदि के मद्देनजर अनुशंसा देने हेतु, एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा विभिन्न तिथियों को बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न ट्रॉंसपोर्ट फेडरेशनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया एवं उनके पक्ष को सुना गया। तदुपरान्त समिति द्वारा भाड़े निर्धारण हेतु की गई अनुशंसा पर आपत्ति आमंत्रित किया गया। इस संबंध में निर्धारित समय–सीमा के अंदर आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। याचिकाकर्ता द्वारा भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

सम्यक विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं0–6441, दिनांक–06.10.2018 द्वारा वर्ष 2014 में निर्धारित भाड़े में वृद्धि करते हुए नए भाड़े का निर्धारण किया गया। इसकी कंडिका–9 में **Point to Point** भाड़े का निर्धारण करने हेतु सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को निदेश दिया गया। इसके आलोक में संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा द्वारा ज्ञापांक–891, दिनांक–31.10.2018 द्वारा **Point to Point** भाड़े का निर्धारण कर दिया गया। यह एन0 आई0 सी0 दरभंगा के वेबसाईट पर प्रदर्शित है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्ष 2014 में निर्धारित भाड़े में वृद्धि कर भाड़े का पुर्ननिर्धारण दिनांक–06.10.2018 को किया जा चुका है तथा इसके आलोक में संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा द्वारा भी ज्ञापांक–891, दिनांक–31.10.2018 द्वारा **Point to Point** भाड़े का निर्धारण कर दिया गया है। अतः इससे आवेदक की समस्या का समाधान हो जाता है। इसकी प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध करा देने एवं इसे विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कर देने का निदेश देते हुए आवेदन को निष्पादित किया जाता है।

ह0/–

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 7915 पटना, दिनांक– 13/12/18

प्रतिलिपि– राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना/संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा/श्री प्रवीण कुमार सिंह, पिता – श्री श्याम नन्दन प्रसाद सिंह, मो0 – मारवारी स्कूल रोड, पो0 – लालगढ़, थाना – दरभंगा नगर, जिला – दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

13/12

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

E:\SEC. 06\SANTOSHG\5 SGLETTER.docx